(138)

II/निग०/रीवा/भू-रा०/2018/0486

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष,राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0 सर्किट कैम्प रीवा,संभाग

रीवा म0प्र0

Rs 30/-

1— गंगा प्रसाद कुशवाहा तनय स्व0 श्री तुलसीदास कुशवाहा उम्र लगभग 80 वर्ष,
2— वंशगोपाल कुशवाहा तनय गंगा प्रसाद कुशवाहा उम्र 45 वर्ष, पेशा खेती,
3— रामकुशल कुशवाहा तनय गंगा प्रसाद कुशवाहा उम्र 36 वर्ष, पेशा खेती,
सभी निवासी अमरैया टोला निपनिया वार्ड क0–02 तहसील हुजूर, जिला रीवा म0प्र0

————निगरानीकर्तागण

बनाम

श्रीमती लीलावती कुशवाहा पत्नी स्व0 जमुना प्रसाद कुशवाहा उम्र 75 वर्ष, पेशा घरूकार्य, निवासी अमरैया टोला निपनिया वार्ड क0–02 तहसील हुजूर, जिला रीवा म0प्र0

————गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0 राजस्व संहिता 1959 ई0

निगरानी विरूद्ध निर्णय व आदेश न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय, रीवा संभाग रीवा द्वारा प्रकरण क0–578/अपील/2016–17 मे पारित आदेश दिनांक 30.11.2017

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

मान्यवर्

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैं :–

1— यहकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.11.2017गलत अवैधनिक व अनियमित होने के साथ ही प्रकरण के तथ्यों तथा प्रस्तुत लैखिक व मौखिक साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2— यह कि विचारण न्यायालय ने निगरानीकर्तागण, को सुनवाई का अवसर नही दिया तथा आवेदिका का दो वर्ष पूर्व कब्जा होना प्रमाणित नही हुआ अतिक्रमित भूमि का स्पष्ट विवरण व पहचान निश्चित नही है बेदखली का विवरण व दिनांक नही बताया गया जिस विन्दु पर ध्यान न देने में भूल की है। ऐसी स्थिति में बेदखली का आदेश नही किया जा सकता है।

17-1-18

गंगा वंशगोपाल

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0 II / निग0 / रीवा / भू–रा0 / 2018 / 0486 जिला–रीवा

गंगा प्रसाद कुशवाहा / लीलावती कुशवाहा

(1)	(2)	(3)
15.03.18	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। 3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	